

2

यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी- राजवीर सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 32/18

नाजर सिंह पिसरान मुतविरान श्री हरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी सूरतगढ़ तहसील
सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

अपीलांत

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ बहैसियत प्रतिनिधि भूधारक।

रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956


उपस्थित:-

1. श्री शिशपाल शर्मा एडवोकेट अपीलांट्स की ओर से
2. पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ़ की ओर से

निर्णय

दिनांक: 11.09.2019

1. यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 02.06.2006 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।
2. अपील मीमो संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2006 अपीलांत को सुने बिना, बिना साक्ष्य के एवं अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी कब्जा काश्त को निरस्त किया गया है जो कि abnatio wrong की परिभाषा में आता है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांत के पिता हरनाम सिंह पुत्र श्री राम सिंह सूरतगढ़ (खोलायत पिता) को भूमिहीन काश्तकार पेशा मानते हुए वर्ष 1970-71 में तत्कालीन तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा रोही सूरतगढ़ के खसरा नं. 234 की 0.557 हैक्टेयर,


अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

लगातार 2 पर.....

खसरा नं. 243/8 की 1.316 हैक्टेयर, खसरा नं. 243/15 की 1.202 हैक्टेयर, कुल 3.075 हैक्टेयर भूमि का आवंटन आदेश किया गया था जिसके बाद उक्त भूमि का समय-समय पर नवीनीकरण होता रहा व रकम कायम होती रही तथा कब्जा बदस्तूर बना रहा। उन्होंने उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर कड़ी मेहनत व परिश्रम कर काबिल काश्त बनाया गया जिसमें उसका श्रम के साथ आर्थिक व्यय भी हुआ है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का ने पूर्णतया एक तरफा रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलांट का रकबा कुल 3.075 हैक्टेयर नगरपालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में आता है व शर्तों का उल्लंघन किया है। इस रिपोर्ट पर अपीलाधीन भूमि का टी.सी. आवंटन निरस्त करने बाबत किसी प्रकार का नोटिस विधिवत तामिल नहीं हुआ। तामिल कुंनिदा ने सरसरी तौर पर नोटिस की तामिल दिखा दी। अपीलांट का निवेदन है कि जो नोटिस निकाला गया है जो कि अवैद्य है। मुझ अपीलांट के हितों पर यह अप्रभावकारी है। इसके आगे की गयी समस्त कार्यवाही अवैद्य है व क्षेत्राधिकार से परे है जो कि काबिले खारिज है एवं अपील स्वीकृति योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को टी.सी. खारिज करने का अधिकार ही नहीं है। अपीलाधीन आदेशों में वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम का हवाला दिया गया जबकि उक्त नियम 1996 में बने एवं प्रश्नगत भूमि वर्ष 1970-71 से ही भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवंटित होकर निरंतर कब्जे काश्त में चली आ रही थी। अपीलांट को उक्त एक पक्षीय निर्णय की कतई जानकारी नहीं थी। वे जब तहसील के खातेदारी हेतु पता करने गए एवं नकल हेतु दिनांक 09.04.2018 को आवेदन किया एवं दिनांक 11.09.2018 को नकल प्राप्त होने पर दिनांक 12.04.2018 को अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार सूरतगढ़ दिनांक 02.06.2016 को निरस्त किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया।
4. बहस प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम व बहस अंतिम अपील पर सुनी गयी।
5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार को टी. सी. आवंटन निरस्त करने का अधिकार ही नहीं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

है। कई अवसरों पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि तहसीलदार टी.सी. आवंटन खारिज करने में सक्षम नहीं है। तहसीलदार सूरतगढ़ के राज्य सरकार के जिन परिपत्रों का हवाला निर्णय में दिया है वे इस मामले में लागू नहीं होते। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार शक्तियां कलक्टर को दी गयी है। आपके कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट ने निम्नोक्त नजीरें उद्धृत की-

(क) आरबीजे(19) 2012 पेज नं.-110

(ख) आरएलडब्ल्यू 2016(1) पेज नं. 413


(ग) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम (कृषि भूमि आवंटन) संशोधन नियम 1970 की प्रति।

(घ) इसके अलावा नकल पी-14 खसरा नं. 243/8 एवं 234, प्रमाणित प्रति निर्णय तहसीलदार राजस्व प्रकरण संख्या 07/18 दिनांक 09.10.2018 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश की जिन्हें शामिल मिसल किया गया।

6. पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त रकबा पैराफेरी क्षेत्र में है जिसके खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने बहस उभय पक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी तथा उस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है तथा इसका रेस्पोंडेंट ने कोई विरोध भी नहीं किया। अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।


8. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 02.06.2006 में यह तथ्य स्वीकार किया है कि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 234 की 0.557 हैक्टेयर, खसरा नं. 243/8 की 1.316 हैक्टेयर, खसरा नं. 243/15 की 1.202 हैक्टेयर, कुल 3.075 हैक्टेयर भूमि अपीलांट को टी.सी. आवंटन हुई थी जो संवत् 2061 तक नवीनीकृत होती रही। अपीलाधीन निर्णय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त टी.सी. आवंटन राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (गुप-6) विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 का हवाला देते हुए निरस्त की है। इसके अलावा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त, 1955 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम


अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

1956 के अंतर्गत वेस्टलैण्ड हेतु बने सन् 1996 के नियमों के अंतर्गत उक्त आवंटन खारिज किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिपत्र दिनांक 15.12.2005 औद्योगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के संबंध में है जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होते क्यों कि वादग्रस्त भूमि अपीलांटस को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी थी। इसी प्रकार राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांक प. 9(25)राज./16/2004/4 दिनांक 08.02.2006 शहरों में पैराफेरी क्षेत्र में आवंटित वेस्ट लैण्ड के संबंध में है जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होते। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियाँ तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार जिला कलक्टर महोदय को है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आलोच्य निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन है। अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा उद्धृत न्यायिक दृष्टांत यहाँ भली-भांति चस्पा होते हैं।

9. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 02.06.2006 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


जितेंद्र सिंह चौधरी,
अतिरिक्त सूजिसद् कलक्टर,
सूरतगढ़